भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय, घाटशिला।

(आदेश फलक)

नामान्तरण अपील वाद संख्या–10 / 2018–19

केश का प्रकार :– नामान्तरण अपील

पुनम शर्मा, पति–श्री प्रदीप शर्मा .... अपीलकर्त्ता

–बनाम–

राज्य सरकार, झारखण्ड (अंचल अधिकारी, घाटशिला) ....विपक्षी

क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
25.04.19	यह नामान्तरण अपील वाद अपीलकर्त्ता पुनम शर्मा पति–श्री प्रदीप शर्मा, निवासी ग्राम–सॉडपुरा, थाना–घाटशिला, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ने राज्य सरकार, झारखण्ड (अंचल अधिकारी, घाटशिला) को पक्षकर बनाकर अंचल अधिकारी, घाटशिला द्वारा ऑन लाईन नामान्तरण मुकदमा संख्या–50R27 / 2018–19 / घाटशिला में दिनांक–15 / 05 / 2018 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया हैं। अपील आवेदन पत्र पर सुनवाई के पश्चात इस वाद की प्रविष्टि की स्वीकृति प्रदान की गई। निम्न न्यायालय का ऑन लाईन नामान्तरण मुकदमा संख्या–50R27 / 2018–19 / घाटशिला प्राप्त हैं। अपीलकर्त्ता की ओर से Deed of Gift No.2505, दिनांक–24 / 04 / 1985, sale Deed No.-3597, दिनांक–30 / 04 / 1982, sale Deed No.-229, दिनांक–20 / 02 / 2018, की छायाप्रति, लगान रसीद, Correction Slip, नक्सा, मुखिया द्वारा सत्यापित वंशावली की छायाप्रति आदि कागजात दाखिल किया गया हैं। अपीलकर्त्ता ने अपने अपील आवेदन पत्र द्वारा बताया गया हैं कि मौजा–सॉडपुरा, थाना नं0–109, खाता नं0–37, प्लॉट नं0–23, रकवा–4.25 डिसमील भूमि का नामान्तरण हेतु अंचल अधिकारी, घाटशिला के कार्यालय में आवेदन किया था, जिसमें अंचल अधिकारी, घाटशिला ने अपने आदेश दिनांक–15 / 05 / 2018 द्वारा अस्वीकृत किया गया हैं। अपीलकर्त्ता, बिक्रेता पंजी–II रैयत ओम प्रकाश शर्मा के पुत्रगण (1) पुरूषोतम शर्मा, (2) अजय कुमार शर्मा, (3) प्रदीप कुमार शर्मा, (4) संजय कुमार शर्मा, सभी के पिता–स्व0 ओम प्रकाश शर्मा तथा (5) पुष्पा देवी शर्मा, पति–स्व0 ओम प्रकाश शर्मा, ग्राम–सॉडपुरा, थाना–घाटशिला से निबंधित बिक्री केवला संख्या–229, दिनांक–20 / 02 / 2018 द्वारा क्रय किया गया हैं, जो प्रश्नगत भूमि का उत्तराधिकारी हैं। अपीलकर्त्ता का कथन है कि उक्त भूमि बिक्री केवला संख्या–3597, दिनांक–30 / 04 / 1982 के माध्यम से पूर्व पंजी–II रैयत सिराजुल हक से क्रय किया गया है, जिसका नामान्तरण मुकदमा संख्या–72 / 1982–83 है। सिराजुल हक उक्त भूमि दिपांकर चक्रवती पिता–इंदु भूषण चक्रवती से बिक्री केवला संख्या–6285, दिनांक–26 / 08 / 1981 द्वारा क्रय किया गया है तथा दिपांकर चक्रवती ने उक्त भूमि को सुधेन्दुमोयी दासी, पति–स्व0 हेमचन्द्र चक्रवती से दान दलील संख्या–2505, दिनांक–24 / 04 / 1965 से प्राप्त किया गया था	

25/04/19

जो हाल सर्वे 1964 के खतियान में दर्ज है।

अपीलकर्त्ता का कथन है कि अंचल अधिकारी, घाटशिला द्वारा बिना विस्तृत जाँच–पड़ताल,अपीलकर्त्ता को साबुत पेश करने का अवसर नहीं देना तथाकागजात देखें बिना ही नामान्तरण वाद को अस्वीकृत कर दिया गया हैं। आवेदक द्वारा अपने अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए अपने नाम से नामान्तरणकरने हेतु अनुरोध किया गया हैं।

अंचल अधिकारी, घाटशिला से प्राप्त नामान्तरण संख्या–50R27 / 2018–19 / घाटशिला में अभिलेख के साथ संलग्न हल्का कर्मचारी, एवं अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि अपीलकर्त्ता ने बिक्री दलिल संख्या–229, दिनांक–20 / 02 / 2018 द्वारा मौजा–सॉडपुर, थाना नं0–109, खाता नं0–37, प्लॉट नं0–23, रकवा–4.25 डिसमील भूमि पंजी–II रैयत के पुत्रगण (1) पुरूषोतम शर्मा, (2) अजय कुमार शर्मा, (3) प्रदीप कुमार शर्मा, (4) संजय कुमार शर्मा, सभी के पिता–स्व0 ओम प्रकाश शर्मा तथा (5) पुष्पा देवी शर्मा, पति–स्व0 ओम प्रकाश शर्मा, ग्राम–सॉडपुरा, थाना–घाटशिला से खरीद किया हैं। अंचल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदित भूमि Land celling के अर्न्तगत पाया गया एवं ऑनलाईन नामान्तरण वाद संख्या–50R27 / 2018–19 / घाटशिला को अस्वीकृत गया है।

अंचल अधिकारी, घाटशिला द्वारा पारित नामान्तरण मुकदमा वाद में संलग्न हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन, सेल डीड, खतियान, वंशावली, लगान रसीद आदि की छायाप्रति एवं पारित आदेश को देखा। अपीलकर्त्ता की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना। संलग्न कागजात, जाँच प्रतिवेदन को देखने तथा विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि Land celling के अर्न्तगत पाया जाना तथा न्यायालय द्वारा Land celling पंजी की मांग किये जाने पर न्यायालय को उपलब्ध नही कराना एवं सही जानकारी के बिना नामान्तरण की स्वीकृति देना युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजात तथा विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात प्रासंगिक नामान्तरण मुकदमा संख्या–50 R27 / 2017–18 / घाटशिला को पूनः स्पष्ट जाँच कर सन्तुष्ट होने के पश्चात नियमानुसार नामान्तरण की कार्रवाई की दिशा में अभिलेख वापस भेजा जाता हैं।

लेखापित एवं संशोधित

25/04/19
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
घाटशिला।

25/04/19
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
घाटशिला।

c.c. of last order is issued.
02/08/19